दुकानदार पर लाठी-डंडों से हमला

जयपुर। राजधानी के जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में उधार सब्जी देने से मना करना एक फल-सब्जी विक्रेता को भारी पड़ गया। करीब आधा दर्जन युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले दुकान के अंदर मारपीट की, फिर उसे घसीटकर सड़क पर लाकर बेरहमी से पीटा। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी कई बार उधार सब्जी लेकर गया था और पैसे नहीं लौटाए। इस बार उधार देने से मना करने पर विवाद हुआ और मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है।

थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित पप्पू लाल सैनी ने मामला दर्ज करवाया है कि उसकी 2 नंबर बस स्टैंड के पास फल-सब्जी की दुकान है।

NAME CHANGE

I have changed my Name from MEHAJABI to MEHJABI PARVEEN for all future purposes. MEHJABI PARVEEN R/O 4108-4109 MOHALLA PAIKAN JAGNNATH SHAH KA RASTA RAMGANJ BAZAR JAIPUR RAJASTHAN

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 60/41, मानसरोवर, जयपुर का आवंटन पत्रांक 354, दिनांक 21.01.1988, जो कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा श्रीमती विजय लक्ष्मी के हित में जारी किया गया था, कहीं गुम हो गया है मिलने पर कृपया सूचित करें दिनेश कुमार मो. न. 7738131705

मेरे भूखण्ड संख्या- A3/93 योजना-ट्रांसपोर्ट नगर योजना,जविप्रा, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कही गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करें: गोरधन लाल सोनी Phone- 6350154310

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य रवि सैनी पुत्र श्री अशोक सैनी, निवासी-रोड नंबर- 4, मिलन सिनेमा, जयपुर के स्वामित्व के प्लाट संख्या-2 कृष्णा कॉलोनी, मिलन सिनेमा नजदीक दिल्ली अजमेर बाईपास, जयपुर को हड़प करने हेतु भूमाफिया लोग आपराधिक षड्यंत्र रच रहे है। मेरे अभिभाष्य के अलावा किसी दिगर व्यक्ति से कोई व्यक्ति खरीद करता है, इकरार करता है तो वह शून्य दस्तावेज होगा एंव मेरा अभिभाष्य विधिक न्यायिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। सूचित रहें।

जयपुर डॉ. भवानी सिंह बराला, एडवोकेट

दिनांकः 29/04/2026 मो.-9950259659

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर

क्रमांक-एफ-56()सि.ला.जो./ननिज/2026/2911

दिनांक-31/03/2026

अनापत्ति आमंत्रण सूचना

भूखण्ड सख्या बी-73 पुराना नया 59 परिवहन नगर खातीपुरा जयपुर का सर्वप्रथम जविप्रा द्वारा श्री नरपत सिंह पुत्र स्व. श्री नाथू सिंह के नाम से क्षेत्रफल 262.91 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था। तत्पश्चात श्री नरपत सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री भवानी सिंह राठौड़ के मध्य पारिवारिक समझौता पत्र हुआ। तत्पश्चात उक्त पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री नरपत सिंह राठौड़ को उक्त भूखण्ड का पूर्वी भाग जिसका क्षेत्रफल 127.44 वर्गगज दिया गया है। उक्त पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री नरपत सिंह राठौड़ के पक्ष में उपविभाजन पत्र जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त के संबंध में आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सात दिवस में आपत्ति पेश करें अन्यथा सात दिवस पश्चात् उक्त भूखण्ड में नियमानुसार उपविभाजन जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त, सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्र.सं.4 जयपुर महा-।।

के.एस.चौधरी विरूद्ध दिपाली खूटेंटा व अन्य

वाद बाबत वसूली

वाद सं. 10 सन् 20

नाम दिपाली खूटेंटा पुत्री गिर्राज खूटेंटा पत्नी अंकुश रावत जाति खूटेंटा स्थान ई-97, गोविन्द नगर (पश्चिम) आमेर रोड जयपुर

...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 05 माह 05 सन् 2026 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 28 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर सें और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मोहर अदालत — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम सं.-4 जयपुर महानगर द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,

जे०एल०एन० मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853

क्रमांक 1192 **आम जाहिर सूचना** दिनांक 28.04.2026

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा आवास संख्या-5/क/20 नाहरी का नाका जयपुर, क्षेत्रफल 114.00 वर्ग मीटर का नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 3522 दिनांक 28/03/1997 श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री तीर्थदास के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर, द्वितीय में दिनांक 29/03/1997 को करवाया गया। नियमितिकरण धारक श्री गिरधारी लाल का स्वर्गवास दिनांक-16/05/2021 को हो जाने के कारण श्रीमती सावित्री मूलचन्दानी पत्नी स्व.श्री गिरधारी लाल के आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, अपंजीकृत वसीयतनामा की छाया प्रति, वसीयतनामा में अंकित गवाहो का शपथ पत्र एवं उनके पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है।अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ताओं श्रीमती सावित्री मूलचन्दानी पत्नी स्व. श्री गिरधारी लाल के पक्ष में आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जायेगी।

सम्पदा प्रबंधक वृत तृतीय, रा०आ०मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

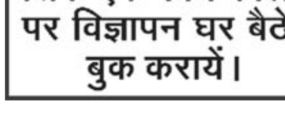

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए 13037 करोड़ रु. की केन्द्रीय मंजूरी मिली

केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के 20 दिन बाद ही जारी हुआ स्वीकृति आदेश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना के लिए 13037.66 करोड़ रुपये की औपचारिक स्वीकृति जारी कर दी है।

- फेज-2 में 41 किलोमीटर के कॉरिडोर पर 36 स्टेशन बनाए जाएंगे
- परियोजना में केंद्र व राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी रहेगी

मंजूरी के करीब 20 दिन बाद जारी इस आदेश से शहरवासियों को बड़ी सौगात मिली है।

परियोजना के तहत 41 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक कुल 36 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही यह परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को नया आयाम देगी।

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रथम चरण में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए शीघ्र कार्यादेश जारी करने की तैयारी की जा रही है। शेष पैकेज के लिए निविदा प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।

परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी है।

मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार से 50 प्रतिशत इक्विटी मिलने से राज्य पर वित्तीय भार कम होगा। परियोजना को वर्ष 2031 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके पूर्ण होने पर जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और सुगम होने की उम्मीद है।

रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा और सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम

वर्ष 2026-27 में करीब 1500 करोड़ रु. खर्च करने का लक्ष्य तय

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास समग्र रूप से किया जा रहा है, जिसमें विद्युत की निर्बाध उपलब्धता, सड़कों के निर्माण एवं सुधार, अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का आधुनिक एवं सुदृढ़ विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान रीको प्रशासन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उन्नयन एवं रखरखाव पर लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने का लक्ष्य रखा है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाया जा सके।

औद्योगिक इकाइयों को आगजनी जैसी आपदाओं से सुरक्षित रखने एवं बेहतर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से रीको द्वारा 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना तथा 37 अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र भिवाड़ी (चौपानकी, खुशखेड़ा), बीकानेर (करणी औद्योगिक क्षेत्र चरण प्रथम एवं द्वितीय), बोरानाडा, चुरू, जयपुर (जैतपुरा), जोधपुर (बासनी), नागौर (आईआईडी सेंटर एवं एसजीसी परबतसर), सवाई माधोपुर (खेरदा, टोंक, हिंडौन सिटी) तथा श्रीगंगानगर में औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ (चरण द्वितीय) सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त आबूरोड, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, बोरानाडा, चुरू, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, नागौर, नीमराना, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में 37 अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। रीको द्वारा विद्युत आपूर्ति को निर्बाध एवं सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य भी करवाये जायेंगे।

रीको के इन प्रयासों से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण का निर्माण होगा, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

भीषण गर्मी और हीटवेव से आमजन रहें सुरक्षित : मुख्यमंत्री

बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिला एवं बीमार व्यक्ति बरतें विशेष सावधानियां

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) के दौर के मद्देनजर आमजन से एहतियात बरतने की अपील करते हुए राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालना करने की सलाह दी है।

- संवेदनशीलता के साथ पशु-पक्षियों की करें देखभाल : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक लू के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करें। विशेष रूप से बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति अतिरिक्त ध्यान रखें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर अनावश्यक निकलने से बचें।

उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक के गंभीर लक्षण जैसे बेहोशी, तेज बुखार की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं अथवा टोल-फ्री नंबर 108 अथवा 112 पर संपर्क करें ताकि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यस्थलों पर नियोजित श्रमिकों, किसानों एवं पशुपालकों से लू एवं हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने आमजन से संवेदनशीलता के साथ पशु और पक्षियों के खाने और पानी की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील भी की है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर समेत 7 शहरों में अंधड़ और बारिश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जयपुर सहित करीब सात शहरों में बारिश हुई, जबकि कोटा, अलवर और दौसा में ओलावृष्टि दर्ज की गई। अंधड के दौरान चूरू जिले के बीदासर में बिजली का तार टूटकर एक मकान की छत पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत हो गई।

बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के अधिकांश शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई, हालांकि एक दर्जन से अधिक शहरों में पारा अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।

इसी बीच धौलपुर में गर्मी के चलते एक ट्रेन के कोच के निचले हिस्से में आग लगने की घटना सामने आई। आग ब्रेक पैडल के पास लगी थी, जिसे समय रहते बुझा लिया गया। प्रारंभिक रूप से आग का कारण अत्यधिक गर्मी माना जा रहा है।

कलाक्षी को मिला स्वर्ण पदक

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान विश्वविद्यालय को आयोजित 35वें दीक्षान्त समारोह में स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विकास संचार व प्रसार में कलाक्षी केशव शर्मा को वर्ष 2024 में सर्वोच्च (98.50) अंक प्राप्त होने पर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि उनके पिता कैलाश कुमार शर्मा राजस्थान विधान सभा में मुख्य अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी के पद पर कार्यरत है।

पंचायत-निकाय चुनाव की तिथि बढाने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 18 मई को

हाईकोर्ट पहले तारीख बढ़ाने पर सुनवाई करेगी, अवमानना याचिका बाद में तय होगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने की तिथि बढ़ाने के संबंध में दायर राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को पहले तय किया जाएगा और उसके बाद मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व विधायक संयम लोढा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई 18 मई को रखी है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालत ने 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करना तय किया है। यह अदालती आदेश की सीधे तौर पर अवमानना है। वहीं पूर्व में राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा था कि हाईकोर्ट ने गत 14 नवंबर को आदेश जारी कर पंचायतों और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक कराने के आदेश दिए थे। स्थानीय निकाय के लिए करीब 1.26 लाख और पंचायत चुनाव के लिए करीब 2.50 लाख मतदान कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसमें से 70 फीसदी शिक्षाकर्मी रहेंगे। फिलहाल सत्र शुरू हो चुका है और मई-जून में भीषण गर्मी पडेगी। वहीं जुलाई से सितंबर तक मानसून व कृषि कार्य में आमजन व्यक्ति रहेगा। वहीं कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर में पूरा होगा। वहीं राज्य चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने और प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम तीन माह का समय लगेगा और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी तीस सितंबर तक आने की संभावना है। इसलिए चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।

राजस्थान में डेयरी क्षेत्र बना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र ग्रामीण विकास और किसानों की आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल योगदान का लगभग 49.35 प्रतिशत है। यह हिस्सा फसलों के योगदान (42.61 प्रतिशत) से भी अधिक है, जो दर्शाता है कि बदलते कृषि परिदृश्य में डेयरी क्षेत्र किसानों के लिए नियमित आय का मजबूत स्त्रोत बन चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में डेयरी विकास को नई गति मिली है। पिछले दो वर्षों में दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे राजस्थान श्वेत क्रांति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। राज्य में दुग्ध संकलन वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जबकि दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 51 लाख लीटर से बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। आगामी दो वर्षों में इसे 74 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरस डेयरी के मार्केटिंग नेटवर्क के विस्तार से दुग्ध उत्पादों के विपणन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नए सरस बूथों की स्थापना के साथ राजस्थान से अन्य राज्यों में प्रतिदिन एक लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय सेना को भी सरस द्वारा प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये से अधिक के दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं।दूध उत्पादकों को क्रय मूल्य वृद्धि के रूप में वर्ष 2025-26 में लगभग 700 करोड रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा हुआ है।

सरस स्वरोजगार योजना के तहत 2,000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं, जबकि दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक विस्तार की दिशा में भी कार्य जारी है।

पिछले दो वर्षों में 3,525 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिससे सहकारी तंत्र को मजबूती मिली है। वर्ष 2025-26 में आरसीडीएफ एवं संबद्ध दुग्ध संघों का कुल टर्नओवर 10 हजार करोड रुपये तक पहुंच गया है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं ने दूध उत्पादकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 1,386 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया गया है।

सीपी जोशी पुन: बने संसद की याचिका समिति के सभापति

चित्तौडगढ़ (कासं)। चित्तौडगढ़ सांसद व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी को संसद की लोकसभा में याचिका (पिटीशन) समिति का पुनः सभापति मनोनीत किया है।

सांसद जोशी को संसद की 15 सदस्यीय लोकसभा की याचिका समिति का सभापति व अन्य 14 सांसदों को सदस्य बनाया गया है। जिनमें सदस्य सांसद एंटो एंटनी, सुखदेव भगत, राजू बिष्टा, गुरमीत सिंह, बस्तीपति नागराजू, मीतेश पटेल बाकाभाई, डॉ. राजकुमार सांगवान, कमलजीत शेहरावत, देवेश शाक्य, मंजू शर्मा, विष्णु दत्त शर्मा, अभय कुमार सिन्हा व राजमोहन उन्निथन, मनोज तिवारी है। सांसद जोशी वर्तमान में संसद की याचिका समिति के सभापति के साथ साथ सार्वजनिक उपक्रम समिति व ऊर्जा समिति में सदस्य हैं। पूर्व में बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 बिल की संयुक्त समिति के सभापति भी रह चुके हैं।सांसद जोशी ने याचिका समिति के पुनः सभापति मनोनीत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। गौरतलब हैं की लोकसभा की याचिका समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। इसके कार्य आम जनता की ओर से संसद में उठाई गई याचिकाओं पर विचार करना, याचिकाओं पर सरकार से राय मांगना, याचिकाओं पर रिपोर्ट देना, याचिकाओं के निपटान के लिए निर्देश देना, याचिकाओं से जुड़े मामलों में मंत्रालय के विचारों पर विचार करना, याचिकाओं के निपटान के लिए सभा में रिपोर्ट पेश करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना आदि है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्यजीव गणना की तैयारियां पूरी

जयपुर (कासं)। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में आगामी वार्षिक वन्यजीव गणना को लेकर वन विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष की गणना कई मायनों में विशेष रहने वाली है, क्योंकि पहली बार महिला कार्मिकों के तीन दल इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे।इसके चलते बुधवार को सहायक वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह राठौड़, रेंजर शुभम शर्मा और फॉरेस्टर राजाराम मीणा ने नाहरगढ़ रेंज का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने वन्यजीवों के लिए बनाए गए 10 नए वाटर पॉइंट्स और निगरानी के लिए तैयार किए गए मचानों का बारीकी से जायजा लिया। भीषण गर्मी को देखते हुए वन्यजीवों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता बनी हुई है।

वन विभाग के अनुसार वन्यजीव गणना 1 मई 2026 को शाम 5 बजे से शुरू होकर 2 मई 2026 को शाम 5 बजे तक 24 घंटे के 'वाटर होल सर्वे' के रूप में संचालित की जाएगी।

ईंट-भट्टों से 150 दिनों तक रॉयल्टी वसूली को हाईकोर्ट में चुनौती

ईएनटी भट्टा संघ भरतपुर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 122 दिन ही प्रदेश में ईंट-भट्टे कार्यरत रहते हैं, तो फिर ज्यादा दिनों का टैक्स क्यों वसूला जा रहा है?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में ईएनटी भट्टा संघ भरतपुर ने 150 दिनों तक वसूली जाने वाली रॉयल्टी टैक्स को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ईंट-भट्टे 1 मार्च से 30 जून तक ही प्रतिवर्ष (122 दिन) ही कार्य कर सकते हैं। परंतु राज्य सरकार द्वारा जिस फार्मूले से रॉयल्टी टैक्स की गणना की जा रही है, उसमें 150 अंक को आधार बनाया हुआ है।

- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रियांशा गुप्ता ने अदालत में सी.ए.जी. की 2 रिपोर्ट्स पेश की हैं, जिसमें रॉयल्टी गणना के फॉर्मूले में 150 अंक को 150 दिन बताया गया है।
- पूरे प्रकरण को सुनने के बाद न्यायाधीश अनरूप सिंघी ने कहा कि, 14 जुलाई को अगली सुनवाई पर महाधिवक्ता, अदालत को यह फार्मूला समझने में मदद करे और स्पष्ट करें कि यह 150 अंक कहां से आए।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनरूप सिंघी की एकलपीठ ने कहा कि, एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल द्वारा विभाग की ओर से दिए गए शपथ पत्रों में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि, यह 150 का अंक क्या है? कहीं यह 150 अंक पुराने फार्मूले के हिसाब से 150 दिन तो नहीं है? अदालत ने 14 जुलाई को अगली तारीख देते हुए कहा कि इस मामले में महाधिवक्ता, अदालत को यह फार्मूला समझने में मदद करे और स्पष्ट करें कि यह 150 अंक कहां से आए। इस मामले के तथ्यों के अनुसार 19 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि, प्रदेश में केवल 122 दिन ही ईंट-भट्टों का संचालन हो सकेगा। अदालत ने यह आदेश इसलिए दिए थे, क्योंकि दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण होता है, इसमें ईंट भट्टों के संचालन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालत ने गर्मियों के मौसम में ही ईंट-भट्टों के संचालन के आदेश दिए थे।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रियांशा गुप्ता ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुराने "राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स-2017" के मुताबिक 150 दिनों का फॉर्मूला लगाकर रॉयल्टी वसूली जा रही है, जो कि खुली मनमानी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में सी.ए.जी. की 2 रिपोर्ट्स पेश की हैं, जिसमें रॉयल्टी गणना के फॉर्मूले में 150 अंक को 150 दिन बताया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह स्पष्ट करने की कोशिश की, ईंट भट्टा निर्माताओं द्वारा कितनी टन ईंटे बनाई जाती है, उसकी रॉयल्टी आंकने में यह 150 का अंक इसलिए जोड़ा जोता था, क्योंकि पूर्व में इतने ही दिन (9 माह) ईंट-भट्टे कार्यरत रहते थे। दूसरी ओर खनन विभाग की ओर से कई बार शपथ पत्र पेश किए गए, जिनमें 150 अंक को अलग-अलग नामों और तर्कों से व्याख्या करने की कोशिश की गई, परंतु अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाए।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम

मैसर्स सेण्ड ड्यून कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., व अन्य

विरुद्ध मंदाता सिंह

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं. 48 सन् 2025

बनाम मंदाता सिंह पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह, आयु...... जाति......

..स्थान पता 99-ए, श्री रामनगर, झोटवाडा, जयपुर। .. ने आपके विरुद्ध ----- के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 08 माह 05 सन् 2026 को दिन में 08.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। हाफ न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सको आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्षी दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आप के कब्जे में या शक्ति मेंहैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिलभ्मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्षी के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करेंआपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता० 28 माह 04 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मुहर — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर, प्रथम

प्रपत्र संख्या 7

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 578/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री रिंकु नायक पुत्र श्री तेजाराम नायक निवासी फ्लेट नम्बर 11, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नम्बर 118. जी.एम.आर. रेजीडेन्सी, शिव नगर द्वितीय सिरसी रोड, वैशाली नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) केअन्तर्गत सेवा सेतु फाउण्डेशन कार्यालय पता-फ्लेट नम्बर 11, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नम्बर 118, जी.एम.आर. रेजीडेन्सी, शिव नगर द्वितीय सिरसी रोड, वैशाली नगर, जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक27/4/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 2/7/26

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 576/2026

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री मनोज सिंह शेखावत ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) केअन्तर्गत प्रन्यास "हरदान चेरिटेबल ट्रस्ट" एस-2, सैकण्ड फ्लोर, बालाजी रेजीडेन्सी, प्लॉट न. 12, दुर्गा विहार-ए नांगल जैसा बोहरा, वेनाड रोड, झोटवाडा जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 27.14.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 2/7/26

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवश्यक सूचना

आवास संख्या 2 / 118, एन.ई.बी.85 योजना अलवर जो कि मूलतः श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री जुगल किशोर को आवंटन पत्रांक 6094 दिनांक 27.03.1989 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का अदेय प्रमाणपत्र क्रमांक 5482 दिनांक 26.02.2004 को श्री इन्द्रजीत सिंह के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 31.07.2013 को उपपंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री इन्द्रजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 19.12.2023 को हो जाने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी पुत्र श्री नितिन कुमार द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत रिलीजडीड (हकत्याग पत्र) दिनांक 13.04.2026 व मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत शपथपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 2/118, एन.ई.बी.85 योजना अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री नितिन कुमार पुत्र स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह के पक्ष में आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम

मैसर्स सेण्ड ड्यून कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., व अन्य

विरुद्ध मंदाता सिंह

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं. 49 सन् 2025

बनाम मंदाता सिंह पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह, आयु...... जाति......

..स्थान पता 99-ए, श्री रामनगर, झोटवाडा, जयपुर। .. ने आपके विरुद्ध ----- के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 08 माह 05 सन् 2026 को दिन में 08.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। हाफ न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सको आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्षी दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आप के कब्जे में या शक्ति मेंहैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिलभ्मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्षी के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करेंआपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता० 28 माह 04 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मुहर — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर, प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम

मैसर्स सेण्ड ड्यून कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., व अन्य

विरुद्ध मंदाता सिंह

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं. 51 सन् 2025

बनाम मंदाता सिंह पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह, आयु...... जाति......

..स्थान पता 99-ए, श्री रामनगर, झोटवाडा, जयपुर। .. ने आपके विरुद्ध ----- के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 08 माह 05 सन् 2026 को दिन में 08.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। हाफ न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सको आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्षी दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आप के कब्जे में या शक्ति मेंहैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिलभ्मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्षी के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करेंआपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता० 28 माह 04 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मुहर — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर, प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम

मैसर्स सेण्ड ड्यून कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., व अन्य

विरुद्ध मंदाता सिंह

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं. 50 सन् 2025

बनाम मंदाता सिंह पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह, आयु...... जाति......

..स्थान पता 99-ए, श्री रामनगर, झोटवाडा, जयपुर। .. ने आपके विरुद्ध ----- के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 08 माह 05 सन् 2026 को दिन में 08.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। हाफ न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सको आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्षी दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आप के कब्जे में या शक्ति मेंहैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिलभ्मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्षी के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करेंआपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता० 28 माह 04 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मुहर — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-3 जयपुर महानगर, प्रथम

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक जयपुर, संघ, जयपुर

लाल भवन, चौडा रास्ता, जयपुर-302003

दिनांकः 29.04.2026

संघ के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संघ के विधान के अनुसार कार्यकारिणी 2026-2030 के चुनाव निम्न कार्यक्रमानुसार होगें।

क्र. सं.	चुनावी कार्यक्रम	वार	तिथि	समय
1.	नामांकन पत्रों का दाखिला	गुरुवार	14.05.2026	सांय 4 बजे तक
2.	नामांकन पत्रों की जांच	गुरुवार	14.05.2026	सांय 4 बजे
3.	वैद्य नामांकन पत्रों की सूची	गुरुवार	14.05.2026	सांय 5 बजे
4.	नामांकन वापसी	बुधवार	20.05.2026	सांय 4 बजे तक
5.	प्रत्याशियों की सूची प्रकाशन	बुधवार	20.05.2026	सांय 5 बजे
6.	चुनाव यदि आवश्यक हो तो	रविवार	24.05.2026	प्रातः 8 बजे से सांय 3 बजे तक
7.	मतों की गणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा	रविवार	24.05.2026	मतदान के पश्चात्

नोटः-उक्त सभी कार्य लाल भवन, जयपुर पर होंगे। सदस्यता हेतु आवेदन दिनांक 04.05.2026 तक, मतदाता सूची में संशोधन हेतु आवेदन 06.05.2026 तक व मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 09.05.2026 तक होगा। अन्तिम सूची ही मतदान के लिए वैद्य होगी।

संजय शाह, चुनाव अधिकारी